



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30042022-235475
CG-DL-W-30042022-235475

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30—मई 6, 2022 (वैशाख 10, 1944)
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30—MAY 6, 2022 (VAISAKHA 10, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	651	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	303	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	807	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	5597
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	65
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	961
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	651	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	303	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	807	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	5597
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	65
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	961
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2022

सं. 222-प्रेस/2022—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2022 के अवसर पर निम्नलिखित कारागार कार्मिकों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करते हैं:—

1. श्री अयिनपार्थी सत्यनारायण, हेडवार्डर, सेंट्रल जेल, राजमहेन्द्रवरम, आंध्र प्रदेश।
2. श्री हरीश कोटवाल, आई/सी सुपरिंटेंडेंट जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, उधमपुर, जम्मू कश्मीर।
3. श्री सत्य प्रकाश स्वाई, सुपरिंटेंडेंट, सर्कल जेल, कटक, ओडिशा।
4. श्री मंजीत सिंह तिवाना, सुपरिंटेंडेंट, ओपन एयर जेल नाभा, पंजाब।
5. श्री प्रवीन कुमार राठी, हेड वार्डर, सेंट्रल जेल संख्या 3, तिहाड़ दिल्ली।

ये पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 के तहत प्रदान किए जाते हैं।

एस एम समी
अवर सचिव

सं. 223-प्रेस/2022—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2022 के अवसर पर निम्नलिखित कारागार कार्मिकों को सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करते हैं:—

1. श्री पोचा वरुणा रेड्डी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट जेल, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश।
2. श्री पेडापुडी श्री रामचंद्र राव, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, सेंट्रल प्रिजन, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश।
3. मोहम्मद शफी उर रहमान, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट सब जेल ऑफिसर, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश।
4. श्री समुद्र चंद्र मोहन, हेड वार्डर, सब-जेल, पट्टिकोडा, आंध्र प्रदेश।
5. श्री हम्सा पॉल, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट जेल, गुंटूर, आंध्र प्रदेश।
6. श्री श्याम सुन्दर, वार्डर, सेंट्रल जेल अम्बाला, हरियाणा।
7. मोहम्मद रफीक, आई/सी सुपरिंटेंडेंट जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, राजौरी, जम्मू कश्मीर।
8. श्री सज्जाद अहमद खान, सेक्शन ऑफिसर/ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, सेंट्रल जेल, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर।
9. श्री सतीश चंदर, एस जी वार्डर, डिस्ट्रिक्ट जेल, उधमपुर, जम्मू कश्मीर।
10. श्री एन. रवीन्द्रन, जॉइन्ट सुपरिंटेंडेंट, सेंट्रल प्रिजन एंड करेक्शनल होम, विय्यूर, केरल।
11. श्री सुरेश ए. के., डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट जेल, कोझिकोड, केरल।
12. श्रीमति मिनिमोल पि. एस., असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-I, डिस्ट्रिक्ट जेल, पलक्काड, केरल।
13. श्री संजीव खरे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन-चार्ज, जेल हेडक्वार्टर्स, भोपाल, मध्य प्रदेश।

14. श्री दिनेश सिंह रावत, असिस्टेंट ग्रेड-I, जेल हेडक्वार्टर्स, भोपाल, मध्य प्रदेश।
15. श्री बाल्मीक प्रसाद त्रिपाठी, हेड वार्डर, सेंट्रल जेल, रीवा, मध्य प्रदेश।
16. श्री रामबहादुर कोल, हेड वार्डर, सब जेल, लवकुशनगर, मध्य प्रदेश।
17. श्री तौसीफ अहमद, वार्डर, सेंट्रल जेल, भोपाल, मध्य प्रदेश।
18. श्री श्यामसुंदर दुबे, वार्डर, सेंट्रल जेल, रीवा, मध्य प्रदेश।
19. मो. कलाम सहा, हेड वार्डर, मणिपुर सेंट्रल जेल, सजिवा, मणिपुर।
20. श्री डोमिनिक वर्जरी, वार्डर, डिस्ट्रिक्ट जेल, शिलांग, मेघालय।
21. श्री रीहश शहीतनछ, हवलदार, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन, जोवाई, मेघालय।
22. श्री डॉ. ओबेन यन्थन, जेलर, सेंट्रल जेल, दिमापुर, नागालैंड।
23. श्री दिलीप कुमार केरकेट्टा, जेलर, सब जेल, राजगंगपुर, ओडिशा।
24. श्री जरनैल सिंह, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट जेल, संगरूर, पंजाब।
25. श्री सुरजीत सिंह, हेड वार्डर, सेंट्रल जेल, फिरोजपुर, पंजाब।
26. श्री टी बरणिधरन, असिस्टेंट जेलर, सब जेल, तिरुमंगलम, तमिलनाडु।
27. श्रीमती वि. प्रिया, असिस्टेंट जेलर, स्पेशल प्रिजन फॉर वीमेन, कोयंबतूर, तमिलनाडु।
28. श्री के बास्कर, ग्रेड-I वार्डर, डिस्ट्रिक्ट जेल, पेरुरानी, तमिलनाडु।
29. श्री एम. पंथु, चीफ हेड वार्डर, डिस्ट्रिक्ट जेल, खम्मम, तेलंगाना।
30. श्री घण्टा रत्न राव, हेड वार्डर, सेंट्रल प्रिजन, हैदराबाद, तेलंगाना।
31. श्री बि. नरसिंग राव, हेड वार्डर, सेंट्रल प्रिजन, वारंगल, तेलंगाना।
32. श्री तिनकरी लाल घोष, चीफ हेड वार्डर, बारुईपुर सेंट्रल करेक्शनल होम, बारुईपुर, साउथ 24- परगना, पश्चिम बंगाल।
33. श्री सुतनु मालाकार, वार्डर, बेरहामपुर सेंट्रल करेक्शनल होम, बेरहामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल।
34. सुश्री कमलेश, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, सेंट्रल जेल संख्या 6, तिहाड़, दिल्ली।
35. श्री प्रेम चन्द माँझी, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, सेंट्रल जेल संख्या 4, तिहाड़, दिल्ली।
36. श्री अरुण तोमर, हेड वार्डर, लीगल ब्रांच, प्रिजन हेडक्वार्टर्स, दिल्ली।
37. श्री संजीव कुमार, हेड वार्डर, सेंट्रल जेल संख्या 4, तिहाड़, दिल्ली।

ये पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 के तहत प्रदान किए जाते हैं।

एस एम समी
अवर सचिव

गृह मंत्रालय
(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 2022

संकल्प

सं. 11034/14/2021-आईएस-IV—प्रौद्योगिकी ने हमेशा लोगों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और न केवल लोगों की सेवा में, बल्कि पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र में भी इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण रही है। जहां तक पुलिस व्यवस्था का संबंध है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, देश की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका के महत्व को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रौद्योगिकी परिदृश्य समय के साथ अकल्पनीय गति के साथ बदल रहा है। स्थापित प्रौद्योगिकियां

अप्रचलित हो जाती हैं और नई प्रौद्योगिकियां अस्तित्व में आती हैं। इसलिए, देश के भीतर और उसके बाहर तकनीकी विकास से तालमेल बनाए रखना और पुलिस संगठनों में इसका बेहतर ढंग से और उन्नत उपयोग करना भी अति आवश्यक है।

2. गृह मंत्रालय ने पुलिस व्यवस्था के सभी पहलुओं में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर जोर दिया है। पुलिस व्यवस्था के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के क्रम में, पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने, इसके प्रसार और उपयोग को आसान बनाने के लिए इसके मानकीकरण और भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकियों संबंधी आवश्यकता का आकलन करने के लिए विशिष्ट अधिदेश के साथ, पुलिस प्रौद्योगिकी मिशन (पीटीएम) स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। तदनुसार, गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस प्रौद्योगिकी मिशन (पीटीएम) का गठन किया जाता है।

3. पीटीएम के अधिकार प्राप्त संचालन समूह (ईएसजी) का गठन निम्नानुसार किया गया है:—

i.	केंद्रीय गृह मंत्री	-	अध्यक्ष
ii.	राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार	-	सदस्य
iii.	गृह सचिव	-	सदस्य (संयोजक)
iv.	सचिव, व्यय विभाग	-	सदस्य
v.	सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	-	सदस्य
vi.	सचिव, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार मंत्रालय	-	सदस्य
vii.	निदेशक (आईबी)	-	सदस्य
viii.	निदेशक (सीबीआई)	-	सदस्य
ix.	अध्यक्ष (एनटीआरओ)	-	सदस्य
x.	डीजी (बीएसएफ)	-	सदस्य
xi.	डीजी (बीपीआरएंडडी)	-	सदस्य
xii.	डीजी(सीआरपीएफ)	-	सदस्य
xiii.	अध्यक्ष (डीआरडीओ)	-	सदस्य
xiv.	पुलिस आयुक्त, दिल्ली	-	सदस्य
xv.	डीजी (एनसीआरबी)	-	सदस्य

4. अधिकार प्राप्त संचालन समूह के कार्यों का चार्टर निम्नानुसार होगा :

- विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न एजेंसियों, केंद्रीय पुलिस संगठनों/सीपीओ और राज्य पुलिस संगठनों द्वारा वर्तमान में अपनाए जा रहे तकनीकी समाधानों का आकलन करना और तकनीकी आवश्यकताओं को चिन्हित करना।
- ऐसी तकनीक का पता लगाना जिसके परिणामस्वरूप पुलिस व्यवस्था में सुधार होगा, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए एप्लिकेशन विकसित करना, समाधान की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए पायलट अध्ययन करना, और आवश्यकता अनुकूल एप्लिकेशन को विकसित करने और इसे शुरू करने के लिए उद्योग के साथ मिलकर काम करना।
- ऐसे समाधानों का अध्ययन करना, अतिव्यापी प्रयासों की पहचान करना, मौजूदा समाधानों का मानकीकरण करना और समान उपयोग के लिए अन्य बलों के एप्लिकेशन का प्रसार करना। तकनीकी समाधान अंतर-संचालित होना अत्यंत आवश्यक है।
- अन्य सरकारी विभागों और संस्थानों में उपयोग में लाए जा रहे एप्लिकेशन का पता लगाना और उन्हें पुलिस संगठन के लिए अपनाना। इतना ही नहीं, पुलिस के लिए तैयार किए गए एप्लिकेशन को अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ साझा किया जा सकता है।

- v) मेगा शहरों, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, संचार क्षेत्र, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, बिग डेटा एनालिटिक्स, आवाज और चेहरे की पहचान, प्रशिक्षण, फॉरेंसिक, आदि जैसी विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करना।
 - vi) पुलिस के लिए तकनीकी समाधान तैयार करने में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए शैक्षणिक और औद्योगिक निकायों के साथ पुलिस संगठनों की नेटवर्किंग को बढ़ावा देना।
5. इसी आधार पर, राज्य भी ऊपर बताए गए प्रयोजनों के लिए टास्क फोर्स का गठन कर सकते हैं।
6. भारत सरकार को सलाह देने के अलावा, मिशन, राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक होने पर, उन्हें उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों पर परामर्श देगा।
7. ईएसजी अपने मिशन में किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को सहयोजित कर सकता है।
8. ईएसजी की प्रत्येक छह महीने में कम से कम एक बार बैठक होगी।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति आईबी के निदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों, राज्यों के मुख्य सचिवों, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों / सलाहकारों, सभी राज्यों के पुलिस आयुक्तों को प्रदान की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अजय कुमार भल्ला
सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2022

No. 222-Pres/2022—The President is pleased to award the President's Correctional Service Medal for Distinguished Service to the following prison personnel on the occasion of Republic Day 2022:—

1. Shri Ayinaparthi Satyanarayana, Head Warder, Central Prison, Rajamahendravaram, Andhra Pradesh.
2. Shri Harish Kotwal, I/c Superintendent Jail, District Jail, Udhampur, Jammu & Kashmir.
3. Shri Satya Prakash Swain, Superintendent, Circle Jail, Cuttak, Odisha.
4. Shri Manjit Singh Tiwana, Superintendent, Open Air Jail, Nabha, Punjab.
5. Shri Praveen Kumar Rathi, Head Warder, Central Jail No. 3, Tihar, Delhi.

These awards are made under Rule 4 of the Rules governing the grant of Correctional Service Medal for Distinguished Service.

S M SAMI
Under Secretary

No. 223-Pres/2022—The President is pleased to award the Correctional Service Medal for Meritorious Service to the following prison personnel on the occasion of Republic Day 2022:—

1. Shri Pocha Varuna Reddy, Deputy Superintendent, District Jail, Kurnool, Andhra Pradesh.
2. Shri Pedapudi Sri Ramachandra Rao, Deputy Superintendent, Central Prison, Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
3. Mohammad Shafi Ur Rahaman, Deputy Superintendent, District Sub-Jails Officer, Kurnool, Andhra Pradesh.
4. Shri Samudu Chandra Mohan, Head Warder, Sub-Jail, Pattikonda, Andhra Pradesh.
5. Shri Hamsa Paul, Deputy Superintendent, District Jail, Guntur, Andhra Pradesh.
6. Shri Shyam Sunder, Warder, Central Jail, Ambala, Haryana.
7. Mohd. Rafiq, I/c Superintendent Jail, District Jail, Rajouri, Jammu & Kashmir.
8. Shri Sajad Ahmad Khan, Section Officer/Deputy Superintendent, Central Jail, Srinagar, Jammu & Kashmir.
9. Shri Satish Chander, SG Warder, District Jail, Udhampur, Jammu & Kashmir.
10. Shri N. Ravindran, Joint Superintendent, Central Prison & Correctional Home, Viyyur, Kerala.
11. Shri Suresh A.K., Deputy Superintendent, District Jail, Kozhikode, Kerala.
12. Smt. Minimol P.S., Assistant Superintendent Gr.I, District Jail, Palakkad, Kerala.
13. Shri Sanjeev Khare, Executive Engineer In-Charge, Jail Headquarters, Bhopal, Madhya Pradesh.
14. Shri Dinesh Singh Rawat, Assistant Grade-1, Jail Headquarters, Bhopal, Madhya Pradesh.
15. Shri Balmik Prasad Tripathi, Head Warder, Central Jail, Rewa, Madhya Pradesh.
16. Shri Rambhadur Kol, Head Warder, Sub Jail Lavkushnagar, Madhya Pradesh.
17. Shri Tausif Ahmad, Warder, Central Jail, Bhopal, Madhya Pradesh.
18. Shri Shyamsundar Dubey, Warder, Central Jail, Rewa, Madhya Pradesh.
19. Md. Kalam Shah, Head Warder, Manipur Central Jail, Sajiwa, Manipur.
20. Shri Dominic Warjri, Warder, District Jail, Shillong, Meghalaya.
21. Shri Rius Suting, Havildar, District Prison, Jowai, Meghalaya.
22. Shri Dr Oben Yanthan, Jailor, Central Jail, Dimapur, Nagaland.
23. Shri Dillip Kumar Kerketta, Jailor, Sub Jail, Rajgangpur, Odisha.

24. Shri Jarnail Singh, Assistant Superintendent, District Jail, Sangrur, Punjab.
25. Shri Surjit Singh, Head Warder, Central Jail, Ferozpur, Punjab.
26. Shri T. Baranitharan, Assistant Jailor, Sub Jail, Thirumangalam, Tamil Nadu.
27. Smt. V. Priya, Assistant Jailor, Special Prison for Women, Coimbatore, Tamil Nadu.
28. Shri K. Baskar, Grade I Warder, District Jail, Perurani, Tamil Nadu.
29. Shri M. Panthu, Chief Head Warder, District Jail, Khammam, Telangana.
30. Shri Ghanta Ratna Rao, Head Warder, Central Prison, Hyderabad, Telangana.
31. Shri B. Narsing Rao, Head Warder, Central Prison, Warangal, Telangana.
32. Shri Tinkari Lal Ghosh, Chief Head Warder, Baruipur Central Correctional Home, Baruipur, South 24-Parganas, West Bengal.
33. Shri Sutanu Malakar, Warder, Berhampore Central Correctional Home, Berhampore, Murshidabad, West Bengal.
34. Ms. Kamlesh, Assistant Superintendent, Central Jail No. 6, Tihar, Delhi.
35. Shri Prem Chand Manjhi, Assistant Superintendent, Central Jail No. 4, Tihar, Delhi.
36. Shri Arun Tomar, Head Warder, Legal Branch, Prison Headquarters, Delhi.
37. Shri Sanjeev Kumar, Head Warder, Central Jail No. 4, Tihar, Delhi.

These awards are made under Rule 4 of the Rules governing the grant of Correctional Service Medal for Meritorious Service.

S M SAMI
Under Secretary

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

New Delhi, the 26th April 2022

RESOLUTION

No. 11034/14/2021-IS-IV—Technology has always played a very important role in the lives of the people and more so in the arena of policing in the service of the people. Insofar as policing is concerned, role of technology in maintaining law and order, internal security of the country and bolstering national security can never be over emphasized. In this regard, it is also noteworthy that the technology landscape is changing with unimaginable pace with time. Established technologies become obsolete and new technologies come into existence. Therefore, there is an urgent need to keep abreast of technological development, within and without the country, and also improvise and upgrade usages in police organizations.

2. Ministry of Home Affairs has emphasized on adoption of new technologies in all aspects of policing. In order that special attention is focused on adoption of State-of-the-art technology for policing a need has been felt to establish Police Technology Mission (PTM) with specific mandate to facilitate adoption of new and emerging technologies in police arena, standardization for ease of proliferation and usage and also assess the requirement of futuristic technologies. Accordingly, the Police Technology Mission (PTM) is constituted under the Ministry of Home Affairs.

3. The Empowered Steering Group (ESG) of the PTM is constituted as under:—

- | | | | |
|------|---------------------------------|---|-------------------|
| i. | Union Home Minister | - | Chairperson |
| ii. | NSA | - | Member |
| iii. | Home Secretary | - | Member (Convener) |
| iv. | Secretary, Dept. of Expenditure | - | Member |
| v. | Secretary MeitY | - | Member |
| vi. | Secretary DOT, M/o Telecom | - | Member |
| vii. | Director (IB) | - | Member |

viii. Director (CBI)	-	Member
ix. Chairman (NTRO)	-	Member
x. DG(BSF)	-	Member
xi. DG(BPR&D)	-	Member
xii. DG(CRPF)	-	Member
xiii. Chairman (DRDO)	-	Member
xiv. CP Delhi	-	Member
xv. DG(NCRB)	-	Member

4. The Charter of function of the Empowered Steering Group will be as follows:

- i) To assess technological solutions being currently adopted by different Agencies, Central Police Organizations/ CPOs and State Police Organizations on various issues and identify technological requirements.
- ii) To explore technology that would result in improving policing, develop applications to adopt technology for meeting the requirements, run pilot study to assess efficacy of the solution, and work with industry to develop and roll out the customised applications.
- iii) To study such solutions, identify overlapping efforts, standardize existing solutions and disseminate applications to other forces for similar use. It is imperative that technological solution is inter-operable.
- iv) To explore applications being used in other Government Departments and Institutions and adopt them for police organization. Conversely, applications devised for police could be shared with other users.
- v) To focus on special requirements, such as requirements in mega cities, in insurgency-affected area, in the field of communication, security of vital installations, big data analytics, voice and facial recognition, training, forensics, etc.
- vi) To promote networking of Police Organizations with Educational and Industrial Bodies in order to utilize their expertise in devising technological solutions for policing.

5. On the same lines, States may also constitute a Task Force with the objectives as stated above.

6. Besides advising the Government of India, the Mission will, if required by the State Governments, advise them on matters falling within their field of operations.

7. ESG may co-opt any other person (s) in its Mission.

8. ESG will hold meeting, at least, once every six months.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to:-Director, IB, Heads of CAPFs/ CPOs, Chief Secretaries of States, Chief Secretaries/ Advisers of UTs, DsGP of all States.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

AJAY KUMAR BHALLA
Secretary